

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

4. आहरण वितरण अधिकारी, प्रधान कार्यालय।

5. वित्त अधिकारी, उ०प्र०, प० दीनदयाल उपा० पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा।

6. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग आगरा/बलरामपुर/बुलन्दशहर/चित्रकूट/फिरोजाबाद/हाथरस/ललितपुर/महाराजगंज/महोबा/उन्नाव/लखनऊ/वाराणसी/एटा/गाजीपुर/गाजियाबाद/कुशीनगर/फतेहपुर/झांसी/मेरठ/औरैया/सुल्तानपुर/बस्ती/बदायूं/शाहजहांपुर/मथुरा एवं सीतापुर।

पत्रांक: /बजट/29(5)30/13/2019-20

दिनांक: 23-7-2020

विषय: लम्बित अनावर्ती सहायक अनुदानों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र (ग्रान्ट इन ऐड) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पार्श्वकिंत पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि उ०प्र० शासन के पत्र संख्या 2050/37-2-2018 दिनांक 26.06.2018 के साथ संलग्न महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-टीएम(सी)/यूसीज/95 दिनांक 19.06.2018 एवं तदक्रम में महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद के अद्यतन प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र

- 1- पत्र सं०-332/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि० 06-07-2018
- 2- पत्र सं०-527/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि०-14-08-2018,
- 3- पत्र सं०-844/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि०-22-10-2018,
- 4- पत्र सं०-1059/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि० 05-12-2018,
- 5- पत्र सं०-391/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि० 27-05-2019,
- 6- पत्र सं०-694/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि० 10-07-2019,
- 7- पत्र सं०-971/बजट/29(5)/30/13/2018 दि० 20-08-2019,
- 8- पत्र सं०-2129/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि०-08-11-2019,
- 9- पत्र सं०-4080/बजट/29(5)/30/13/2018-19 दि०-13-02-2020,

संख्या-टीएम(सी)/यूसीज/501 दिनांक 22-01-2020 के क्रम में महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध अनावर्ती सहायता अनुदानों की संलग्न सूची के अनुसार जी०एफ०आर०-19 ए पर वाउचर संख्या तथा दिनांक सहित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, पशुपालन संकलन अनुभाग उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पार्श्वकिंत पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी अभी तक आपके स्तर से वांछित सूचना कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, पशुपालन संकलन अनुभाग उ०प्र०, इलाहाबाद एवं अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद से निरन्तर अनुस्मारक प्राप्त हो रहे हैं। यह स्थिति अत्यन्त खेद जनक एवं महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों के प्रति आपकी उदासीनता को प्रदर्शित करता है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद की वेबसाइट agup.nic.in पर उपलब्ध अनावर्ती सहायता अनुदानों की संलग्न सूची के अनुसार अपने से सम्बन्धित सूचना जी०एफ०आर०-19 ए पर वाउचर संख्या एवं दिनांक सहित कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, पशुपालन संकलन अनुभाग उ०प्र०, इलाहाबाद को भेजते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में महत्वपूर्ण शासकीय कार्यों के निस्तारण में आपके स्तर से अनुउत्तरदायित्व पूर्ण कृत्य किये जाने व प्रति विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति कर दी जायेगी।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।

पत्रांक: 537/बजट/29(5)30/13/2019-20 दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

5. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ०प०, इलाहाबाद के अर्धशासकीय पत्र सं०-टी०एम०(सी)/यू०सी०/501 दिनांक- 22-01-2020 के अनुपालन में।
6. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग अलीगढ़/झांसी/इलाहाबाद/बरेली/ आगरा/ वाराणसी/ देवीपाटन-मण्डल (गोण्डा)/चित्रकूट-धाम(बौदा)/लखनऊ/कानपुर/गोरखपुर एवं मेरठ मण्डल को अपने स्तर से भी त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।
8. कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर फीड करने का कष्ट करें।

(महेन्द्र कुमार भट्ट)
वित्त नियंत्रक।